न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—26/2025

जी.सी.एम.एस.नं.—2025/43

शमसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान निवासी चक 12 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)

———वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री हसंराज डाल एडवोकेट — वादी की ओर से
2. राज पैरोकार — प्रतिवादी की ओर से

—:: निर्णय ::— दिनांकः—23/12/25

यह कि कृषि भूमि वाके चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ का मु.नं.—4 का पत्थर सं.—80/38 मु.नं.—3 का प.सं.—80/45 एंव मु.नं.—5 का प.सं.—80/46 का कुल 2.8680 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा में से वादी का 277/956 हिस्सा रकबा वादी के नाम शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न है। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता हैं कि उक्त कृषि भूमि वादी ने जरिए पंजीकृत बैयनामा दिनांक 27.09.2000 को खरीद की थी। बैयनामा में भी सहवन से वादी का नाम शम्माखां ही दर्ज कर दिया गया था। उसी आधार पर आगे वादी के नाम से इंतकाल दर्ज करते समय उक्त कृषि भूमि के में वादी का नाम शमसु दीन के स्थान पर शम्माखां दर्ज हो गया है। वादी व वादी का परिवार ग्रामीण परिवेश का है। वादी भी ग्रामीण परिवेश तथा अनपढ़ काश्तकार पेशा है। उक्त भूमि का बैयनामा लिखवाते समय सहवन से वादी का नाम शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान दर्ज कर दिया गया था। तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान के नाम से दर्ज हुआ जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भुल है। वादी का सही नाम शमसु दीन पुत्र श्री मोहम्मद रमजान हैं तथा वादी का आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि जिनकी प्रति सलग्न है वादी का नाम शमसुदीन पुत्र मोहम्मद रमजान दर्ज है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का तथा अनपढ़ व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था। अब वादी उक्त कृषि भूमि पर ऋण सुविधा की पत्रावाली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 2 माह पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि आपका नाम शमसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं बल्कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड मे शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान दर्ज है। जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 10:32:34 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम श्मसु दीन हैं तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा जिस पर वादी प्रतिवादी सं.–1 तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। बस यही बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत है। वादी का सही व वास्तविक नाम श्मसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान है लेकिन सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में उसका नाम शम्माखां दर्ज हो गया हैं जो कि एक सद्भाविक व मानवीय भूल है। भूमि के अन्य दस्तावेज में नाम अलग–अलग होने के कारण यादी को काफी सामना करना पड़ रहा हैं क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप शम्माखां दर्ज हैं और आवश्यक दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड पासपोर्ट आई डी कार्ड पेनकार्ड, जन आधार कार्ड तथा पासपोर्ट आई व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम श्मसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में उक्त कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादी से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत व परेशानीयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज हुऐ नाम का दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–2 नाम दर्ज होने से किसी प्रकार की परेशानीयों का सामना ना करना पडे और वादी अपने सही या वास्तविक नाम श्मसु दीन के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी को माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है। फलस्वरूप वादी को माननीय अदालत की शरण में आना पड़ रहा है।

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन हैं कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से निर्णित व डिक्री फरमाया जावेः–

इस अमर की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाये कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–2076 में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ का मु. न. 4 का पत्थर सं.–80/38 मु. न. 3 का प. सं.–80/45 एंव मु. न.–5 का प. सं.–80/46 का कुल 2.8680 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा में से वादी का 277/956 हिस्सा रकबा जो शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान के नाम से दर्ज हैक्टर के संबंध में वादी के खातेदार अधिकार की घोषणा की जाकर इस कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी श्मसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान के नाम की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाकर प्रतिवादी को वादी का नाम श्मसु दीन पुत्र मोहम्मद रमजान दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार (भू.अ.) से प्राप्त रिपोट कमाक 425 दिनांक 10 [illegible] के मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनूपगढ़ चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ [illegible] 80/38 मु. न. 3 का प. सं.–80/45 एंव मु. न.–5 का प. सं.–80/46 का [illegible] भूमि खातेदार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में शम्माखां पुत्र मोहम्मद रमजान [illegible] है। यह भूमि वादी को बैयनामा के आधार दर्ज हुई। वादी के द्वारा के प्रस्तुत वाद पत्र खारिज करने का कष्ट करे। रिपोर्ट के साथ वादी स्वय का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत 12 एच (हिश्यामकी) के दिनांक से जारी प्रमाण–पत्र में शमसु दीन पुत्र मोहतमद रमजान निवासी 12 एच जाति मुस्लमान हैं जिसका राजस्व भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:34 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान हैं शमसु दीन व शम्मा खां एक व्यक्ति का नाम है। आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। तहसीलदार (भू0अ0) अनूपगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं ग्राम पचांयत 12 एच (हिश्यामकी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का नाम शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान के स्थान पर शम्माखां उर्फ शमसुदीन पुत्र मोहम्मदरमजान दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः एवं वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ का मुं.नं.—4 का पत्थर सं.—80/38 मुं.नं.—3 का पं.सं.—80/45 एंव मुं.नं.—5 का पं.सं.—80/46 का कुल 2.8680 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी रकबा में से वादी का 277/956 हिस्सा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में **वादी का नाम शम्माखां पुत्र मोहम्मदरमजान के स्थान पर शम्माखां उर्फ शमसु दीन पुत्र** मोहम्मदरमजान **अंकन किया जावे।** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/9/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.24 11:32:34 IST
Reason: SelfAttested